न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक
(पीठासीन अधिकारीः अनिता खटीक, आर.ए.एस.)

अपील सं0–07/2021
प्रविष्टि दिनांक––14.09.2021

1. श्योकरण पुत्र जगन्या जाति सांसी निवासी करेड़ा वुजुर्ग तहसील निवाई जिला टोंक
अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत करेड़ा वुजुर्ग तहसील निवाई, जिला टोंक
2. भागुता उर्फ भागीरथ पुत्र लादू जाति सांसी निवासी करेड़ा वुजुर्ग तहसील निवाई।
3. ज्याना पुत्र जगन्या जाति सांसी निवासी करेडा वुजुर्ग तहसील निवाई।
4. जमुना पुत्री जगन्या जाति सांसी निवासी करेड़ा वुजुर्ग तहसील निवाई।
5. तहसीलदार निवाई जिला टोंक।

प्रतिपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित– श्री रामेश्वर चौधरी–अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 1312 दिनांक 20.11.2014 ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग तहसील निवाई

दिनांक– 24-06-25

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ग्राम करेड़ा बुजुर्ग, निवाई का निवासी है। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 4 जगन्या की संताने है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 भागीरथ उर्फ भागुता जगन्या के जीवनकाल में ही लादू पुत्र ओंकार के जो ला औलाद था के गोद चला गया था तथा राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट सं0 2 भागीरथ पुत्र लादू के नाम से लादू की कृषि भूमि पर काविज है। जगन्या पुत्र सोराम की सम्पत्ति आराजीयात ख0नं0 1061/3 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम करेड़ा बुजुर्ग में स्थित है। प्रार्थी अपीलांट की मृत्यु हो जाने के बाद विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का करेड़ा बुजुर्ग द्वारा अपीलांट सं0 1 के साथ रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 4 के नाम भर दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 2 लादू पुत्र ओंकार के गोद जा चुका था जिसका आराजी खसरा नम्बर 1061/4 का नामांतकरण 384 दिनांक 01.03.1979 पूर्व में ही लादू की मृत्यु हो जाने के बाद नामान्तकरण भरा जा चुका था। ग्राम पंचायत व पटवार हल्का गिरदावर द्वारा विधि के विरूद्व जाकर ग्राम पंचायत के सरपंच ने रेस्पोडेन्टस सं0 2 से मिलकर नामान्तकरण स्वीकार किया है जो विधि विरूद्व एव निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

जगन्या पुत्र सोराम

भागुता उर्फ भागीरथ पुत्र गोद गया लादू पुत्र ओंकार के	श्योकरण पुत्र	ज्याना पुत्री	जमना पुत्री

जगन्या पुत्र सोराम के देहान्त पश्चात विरासत का नामान्तकरण सं0 1312 दिनांक 20.11.2014 अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 4 को खोला गया जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 2 लादू पुत्र ओंकार के गोद जा चुका था। नामान्तमकरण संव 1312 में रेस्पोडेन्ट सं0 2 का नामान्तकरण पंचायत द्वारा गलत अंकित कर दिया है। अतः नामान्तरकरण सं0 1312 दिनांक 20.11.2014 को

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नामान्तरकरण सं0 1312 दिनांक 20.11.2014, जमाबंदी संवत, 2070–2073, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

रेस्पोडेन्ट की बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है।

इसके पश्चात प्रकरण मे वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने अपील एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा भली भांति जांच नही की गइ और अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 ता 5 के नाम नामान्तकरण भर दिया। जबकि अपीलांट के पिता जगन्या के जीवित रहते ही रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम पूर्व में लादू पुत्र ओंकार की विरासत का नामानतकरण दर्ज किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 लादू पुत्र ओंकार का वारिस/दत्तक पुत्र है। किन्तु रजिस्टर्ड गोदपत्र/गोदनामा पत्रावली में उपलब्ध नहीं है लेकिन साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2070–73 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0 2 का राजस्व रिकॉर्ड में लादू का वारिस का अंकन है। इसके परीक्षण के संबंध मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। संभवतः विरासत का नामान्तरकरण भरते समय आनन–फानन में नामान्तरकरण भर दिया गया है। चूंकि नामान्तरकरण फोती का है जिसमे विधिक वारिसो के नाम दर्ज किया जाना चाहिए। अतः यह न्यायालय, न्याय हित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर, नामान्तरकण को रिमाण्ड करना उचित समझता है।

आदेश

अतः अपील, अपीलार्थी, विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 सं0 1312 दिनांक 20.11.2014 ग्राम करेड़ा बुजुर्ग, ग्राम पंचायत करेड़ा बुजुर्ग, तहसील निवाई जिला टोंक स्वीकार कर, उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड की जाती है तथा तहसीलदार, निवाई को आदेशित किया जाता है कि मृतक जगन्या पुत्र सोराम के विधिक वारिसो की पुनः जांच कर, विधि सम्मत नामान्तरकरण दर्ज करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 24-06-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अनिल खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी, निवाई